IJAER/July- August- 2021/Volume-10/Issue-1 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारत में चुनाव आयोग की शक्तियाँ और कार्यों के संदर्भ में विशेष अध्ययन

Ms. Sunita Kumari
Scholar
Department of Political Science
Malwancha University, Indore(M.P.)

Dr. Manoj Kumar
Supervisor
Department of Political Science
Malwancha University, Indore(M.P.)

सार

भारत में मीडिया के कामकाज में प्रतिमान बदलाव आया है। तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य में जब पत्रकारिता की नैतिकता पिछड़ गई है, पत्रकारों को अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक, सच्चा, सकारात्मक और तर्कसंगत होने की आवश्यकता है। अखबार का अपना राजनीतिक विश्वास रखने का अधिकार बहस का विषय नहीं है। हालाँकि, जो समाचार पत्र लोगों को सूचित करने का दावा करते हैं, वे सार्वजनिक मुद्दों और नीतियों पर जनता को निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग करने के लिए बाध्य हैं, खासकर जब चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्य और शासन के संरक्षण पर दूरगामी परिणाम देती है। देश चल रहा है। स्पष्टवादी और उत्तरदायी मीडिया का योगदान अंतिम हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से कम से कम नहीं।

इन सभी कारकों के बावजूद, भारत में सरकार सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने या समाप्त करने में कोई सेंध नहीं लगा सकी। अध्ययन से पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद से समय–समय पर सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (बाद में 1988 में समेकित), जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच आयोग, उपायों की सिफारिश करने के लिए संथानम समिति की नियुक्ति भ्रष्टाचार का मुकाबला, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, आपातकाल के बाद जनता सरकार द्वारा नियुक्त शाह आयोग (1977), विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों की संस्था की स्थापना , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच।

प्रमुख शब्दः– अधिनियम, भ्रष्टाचार और जांच।

प्रस्तावना

भारत, शासन की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और इस प्रणाली के केन्द्र में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने के प्रति प्रतिबद्धता है। ये निर्वाचन सरकार की संरचना, संसद के दोनों सदनों, राज्यो एवं संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभाओं की सदस्यता, और राष्ट्रपतित्व एवं उप–राष्ट्रपतित्व का निर्धारण करते हैं। चुनाव शब्द का शब्दकोश अर्थ चुनने या चुनने की क्रिया है। यह आमतौर पर एक घटक निकाय के वोटों द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति है। चुनाव को विशेष रूप से बहुत महत्व दिया गया है जहां सरकार लोकतांत्रिक प्रकृति की है। लोकतंत्र का अर्थ है वह सरकार जिसमें लोग अपने ऊपर शासन करते हैं। हर्न शॉ ने एक लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ देते हुए कहा है, ''एक लोकतांत्रिक राज्य, संक्षेप में, वह केवल एक है जिसमें समग्र रूप से समुदाय के पास संप्रभु अधिकार होता है, मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की सरकारी मशीनरी को स्थापित किया जा सकता है क्योंकि राज्य के रूप में लोकतंत्र केवल सरकार का एक तरीका नहीं है लेकिन यह सरकार को नियुक्त करने, नियंत्रित करने और बर्खास्त करने का एक मॉडल मात्र है।

एक लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को सरकार को नियुक्त करने या खारिज करने के लिए एक आकार देने का अधिकार है। लोग कुछ वर्षों के बाद चुनावों के माध्यम से एक नई सरकार नियुक्त करते हैं और इस तरह प्रेस या अन्य माध्यमों से महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। चुनाव एक ऐसा उपकरण है जो एक आधुनिक राज्य अपने नागरिकों के बीच सार्वजनिक मामलों में भागीदारी की भावना पैदा करता है।

साहित्यिक पृष्ठभूमि

(विनरिच, 2010) ने वर्णन किया कि पर्याप्त रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त चुनाव प्रणाली का चयन करने के साथ–साथ एक कार्यशील चुनाव आयोग और शिकायत तंत्र की स्थापना अनिवार्य है। फिर भी, अगर चुनाव आगे बढ़ना है और शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होना है तो और अधिक की आवश्यकता है। युद्धग्रस्त देशों और पहली बार चुनाव कराने

वाले देशों में, विशेष रूप से अंतिम परिणामों की स्वीकृति के संबंध में, संघर्ष के लिए एक विशाल और लगातार संभावना होती है।

(कुहने, 2010) अध्ययन से पता चला कि चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन मतदाताओं और विपक्षी दलों के डर को पूरी तरह से दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि चुनाव के परिणाम में हेरफेर किया जा सकता है। इसलिए एक चुनावी शिकायत प्रणाली का अस्तित्व जिसमें लोगों का भरोसा है, आवश्यक है। विश्वास के इस तत्व को प्राप्त करने के लिए, शिकायतों और अपील प्रक्रियाओं को गति, पारदर्शिता और पहुंच से संबंधित कम से कम तीन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(जीएन, 2011) ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने देखा कि राजनीतिक दल सुधारों के आरंभकर्ता हैं और लोगों और मतदाताओं को जुटाने के लिए एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी राजनीतिक पसंद व्यक्त कर सकते हैं। आयोग चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करने के अपने प्रयास में राजनीतिक दलों को सबसे महत्वपूर्ण हितधारक मानता है। आयोग ने आगे देखा कि आयोग को लोगों, मीडिया और सभी राजनीतिक दलों के विश्वास का आनंद लेने के लिए विशिष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त और सम्मानित किया गया है, क्योंकि आयोग के पास सभी के साथ सम्मान, निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करने की खुली नीति है।

(आहूजा एंड ओस्टरमैन, 2011) ने जांच की कि चुनाव के नियमन में चुनाव आयोगों की भूमिका दुनिया भर में महत्वपूर्ण है, कम से कम इसलिए नहीं कि लोकतांत्रिक वैधता चुनाव की विश्वसनीयता को बदल देती है। कई देशों में, विपक्षी दल चुनाव परिणामों का विरोध करते हैं और चुनावों का बहिष्कार करते हैं। चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठाया जाता है क्योंकि उनकी वैधता सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं स्वयं संदिग्ध हैं। भारत में, दुनिया के सबसे विषम समाजों में से एक, राजनीति अत्यधिक विवादास्पद बनी हुई है।

(आहूजा एंड ओस्टर्मन, 2011) ने निष्कर्ष निकाला कि विकासशील देशों में, सार्वजनिक संस्थान शायद ही कभी कार्यकारी दबाव से वैधानिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं, तो एक लुटेरा कार्यकारी द्वारा सुरक्षा की अनदेखी की जा सकती है। समय के साथ, ईसीआई ने अपने

जनादेश का विस्तार करते हुए सफलतापूर्वक संस्थागत स्वायत्तता हासिल की। भारतीय संविधान तीनों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना करता है अनुच्छेद 327 संसद को चुनाव के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है।

(जी . एन. सुब्बा राव , 2011) ने संक्षेप में कहा कि भारत के मतदाताओं ने 15वें राष्ट्रीय चुनावों में राजनीतिक स्थिरता और शासन के सामंजस्य पर जोर दिया। खंडित निर्वाचक मंडल और दलीय व्यवस्था की भविष्यवाणियों ने छोटे समूहों को क्षेत्रीय, जाति, वैचारिक और व्यक्तित्व के विचारों पर जोर देते हुए तीसरे और चौथे मोर्चों पर सत्ता प्राप्त करने की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बजाय, कांग्रेस पार्टी ने अधिकतम जीतने वाले गठबंधन के बजाय न्यूनतम पर सफलतापूर्वक जुआ खेला। वर्तमान में उद्घाटन, इतिहास में लोकतांत्रिक मताधिकार का सबसे बड़ा अभ्यास होगा, क्योंकि भारतीय मतदाता एक नई राष्ट्रीय संसद का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे।

चुनाव आयोग की शक्तियां

चुनाव आयोग को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक मामलों और व्यावहारिक समस्याओं से निपटना होता है जिसमें नीति के प्रश्न शामिल नहीं होते हैं और केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। यह आयोग के काम का एक खंड है। और इन सबसे ऊपर, पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करने और इसकी अखंडता और दक्षता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, जो स्पष्ट रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के पास होनी चाहिए, सहयोगियों के साथ भारी जिम्मेदारियों को सांझा करने से प्रतिष्ठा की हानि या एक संस्था के रूप में प्राधिकरण की कमी शामिल नहीं है।

यह जोड़ा जा सकता है कि यदि आयोग को अतिरिक्त वैधानिक शक्तियाँ दी जानी हैं, जैसा कि उसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के व्यापक दायरे को उसी विस्तार के साथ प्रभावित करना चाहिए जो आवश्यक पाया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, चुनाव आयोग की शक्तियाँ संविधान की धारा 103 के तहत या धारा 14 की उप–धारा (4) के तहत राष्ट्रपति को कोई राय देने के संबंध में सदस्यों की अयोग्यता की जांच करती हैं। केंद्र शासित

प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 या राज्यपाल को अनुच्छेद 192 के तहत, चुनाव आयोग जांच करना आवश्यक या उचित मानता है, और आयोग संतुष्ट है कि जांच के आधार पर, वह निर्णायक राय पर नहीं आ सकता है। जिस मामले की जांच की जा रही है, आयोग के पास ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक मुकदमे की कोशिश कर रहा है। आयोग के पास किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के अधीन होने की शक्ति भी होगी। कोई विशेषाधिकार जो उस व्यक्ति द्वारा किसी भी कानून के तहत दावा किया जा सकता है।

चुनाव आयोग के कार्य

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं –

चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण :

चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी सभी मामलों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति है। चुनाव आयोग चुनाव संबंधी सभी समस्याओं का हल करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।

मतदाता सूची तैयार करना :

चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना है। मतदाता सूची को प्रत्येक जनगणना और आम चुनाव के बाद संशोधित किया जाता है। इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हैं और जिन नागरिकों की मृत्यु हो गई है उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं।

चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित करना :

चुनाव आयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने की तारीख तय करता है। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग तय करता है। चुनाव आयोग उम्मीदवार की वापसी की तारीख भी तय करता है। चुनाव आयोग के द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की तारीख की घोषणा

की जाती है। यदि किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र में कोई कमी है तो उस नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है।

राज्य विधान सभाओं के लिए चुनाव आयोजित करना:चुनाव आयोग राज्यों की सभी विधान सभाओं के चुनाव को नियंत्रित करता है। भारत में आज 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केवल 5 राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद के दो सदन हैं। अन्य सभी राज्यों में केवल विधान सभाएँ हैं।

चुनावी भ्रष्ट आचरण और न्यायपालिका

गैरकानूनी संघों की गैरकानूनी गतिविधियां:

जमात–ए–इस्लामिया हिंद15 में अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई संघ वैध है या नहीं। भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2 और 3 के तहत 10.12. 1992 की एक अधिसूचना जारी की, जिसमें घोषणा की गई कि जमात –ए–इस्लामिया, अपीलकर्ता संघ, वहां बताए गए तथ्यों के साथ–साथ एक गैरकानूनी संघ था। अन्य तथ्य और सामग्री जो उसके कब्जे में है, जिसे सार्वजनिक हित के खिलाफ माना जाता है, उसका खुलासा करना। अधिनियम की धारा 4 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल को एक संदर्भ दिया गया था। ट्रिब्यूनल के समक्ष पूछताछ में, केंद्र सरकार द्वारा कुछ खुफिया रिपोर्टों और केंद्र सरकार के हलफनामों के आधार पर उत्पादित एकमात्र सामग्री। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया और जमात –ए–एस्लामिया हिंद के खिलाफ एक गैरकानूनी एसोसिएशन के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना को एक आदेश पारित किया।

अपील पर अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि एक अधिसूचना जारी करने से पहले कि केंद्र सरकार ने एक गैरकानूनी संघ के रूप में अपने संघ को जारी नहीं किया और न ही प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन किया, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए, गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए। भारत के संविधान के तहत। अपीलकर्ता ने अदालत से आग्रह

किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी आधार निर्दिष्ट नहीं है जिस पर अधिसूचना आधारित थी।

राज्यों का संसदीय एवं राज्य विधानमण्डल निर्वाचन क्षेत्रों में बंटवारा

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, जहां तक यथासाध्य हो, भौगोलिक रूप से समन्वित क्षेत्र हों, और इनके परिसीमन में भौतिक लक्षणों, प्रशासनिक इकाई की मौजूदा सीमाएं, संचार की सुविधाओं और सार्वजानिक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रक्रिया के अपरिहार्य अंग होते हैं। भारत में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं। जबकि भारत में एकल पार्टी प्रथा अधिक प्रभावशाली रही है। राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित रही हैं, परंतु विचलन प्रक्रिया भी साथ–साथ चलती रही है, इसी का परिणाम है–दल–बदल की प्रथा। अधिकतर पार्टियां व्यक्तित्व से प्रभावित रही हैं।

राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टियां

जन–प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 1988 के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं–

1. यदि इस संशोधित अधिनियम के लागू होने के समय कोई संगठन अथवा संस्था अस्तित्व में है तो इसे लागू होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए, तथा
2. यदि इस संशोधित अधिनियम के लागू होने के समय के बाद कोई संगठन अथवा संस्था अस्तित्व में आती है तो अस्तित्व में आने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। यह प्रावधान 15 जून, 1989 से लागू कर दिया गया है।

उपसंहार

इस अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि विस्तृत वैधानिक प्रावधान और केस–कानून की अधिकता है, मौजूदा कानूनी प्रावधान भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस दयनीय स्थिति का एक कारण न्यायपालिका द्वारा प्रावधानों की वास्तविक भावना को आत्मसात करने में विफलता है। यह सच है कि वैधानिक प्रावधान के आयामों और मापदंडों के निर्धारण के संबंध में न्यायपालिका का योगदान पर्याप्त है। हालांकि, सबूत की डिग्री के मामले में इस तरह के नियमों के निर्माण ने कानून के उद्देश्य को ही विफल कर दिया था। रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, धार्मिक और सांप्रदायिक अपीलों और शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देने की भ्रष्ट प्रथाओं के मामले में, न्यायिक दृष्टिकोण आमतौर पर प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए न्यायपालिका से अधिक यथार्थवादी और उद्देश्य–उन्मुख दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। विधायिका का दृष्टिकोण भी विरोधाभासी है। यद्यपि वैधानिक प्रावधानों में खामियों को दूर करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे, ऐसे उदाहरण हैं जहां संशोधन के माध्यम से बहुत ही प्रावधान हैं, ऐसे उदाहरण हैं जहां संशोधन के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य ही विफल हो गया था। सरकारी सेवकों की सहायता प्राप्त करने से संबंधित संशोधन और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च इस संबंध में कुछ उदाहरण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव क्षेत्र से भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने के लिए अधिक प्रभावी कानूनी प्रावधानों का अधिनियमन आवश्यक है।

चुनाव आयोग को भी भ्रष्ट आचरण को रोकने में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उस प्रयोजन के लिए, सुपरिभाषित शक्तियों के साथ एक बहु–सदस्यीय आयोग आवश्यक है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया से भ्रष्ट आचरण को मिटाने के लिए न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग की ओर से कुछ सकारात्मक कारवाई आवश्यक है।

संदर्भः–

1. मेसफिन, बी। (2008)। लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक दल अफ्रीका पर विशेष जोर देने के साथ एक वैचारिक अवलोकन। सुरक्षा अध्ययन संस्थान , पेपर 166 (जुलाई), 1–12।

2. नाइक, जेडएच (2010)। भारत में चुनावी सुधारः जरूरतें, मुद्दे और चुनौतियां। सार्वजनिक नीति और प्रशासन अनुसंधान , 72–75।

3. नारायण, एसबी, और पांडा, एल। (2018)। एम ओनी और ई लेक्शंस ।

4. नारायणस्वामी, एनए (2010)। चुनावी पर एक महत्वपूर्ण विश्लेषण । 8 (4), 2169–2174।

5. नीलिमा। (2017)। भारत में चुनावी सुधारः सर्वोच्च न्यायालय और कानून आयोग की धारणाएं। न्यायिक विज्ञान के एमिटी इंटरनेशनल जर्नल , 3 , 66–74।

6. नॉरिस, पी। (2011)। चुनावी सुधार की सांस्कृतिक व्याख्याः एक नीति चक्र मॉडल। पश्चिम यूरोपीय राजनीति , 34 (3), 531–550।

7. ओबेरॉय, एन. (2002)। चुनावी फंडिंग में सुधार । 234 , 137–148.

8. बाबू लाल देवंदा (2010)। भारत और भौतिक के धन चुनाव का प्रभुत्व। 19 (3), 2975–2978।

9. ओरजी, एन। (2018)। चुनाव और चुनावी प्रदर्शन। नाइजीरियाई राजनीति की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक , 318–335।

10. पारख, डी. (2010)। चुनावी राजनीति में युवाओं का प्रतिनिधित्वः भारतीय चुनाव प्रणाली का विश्लेषण। जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस , 8 (2), 43–59।

11. प्रसाद सिंह, बी (2013)। भारत में चुनावी सुधार – मुद्दे और चुनौतियाँ। मानविकी और सामाजिक विज्ञान आविष्कार के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल आईएसएसएन , 2 (3), 2319–7722।